(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग—चार में प्रकाशनार्थ)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(शहरी विकास विभाग)

नौंवा तल, सी—विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली।

सं0फा0 7/91/एडीएलबी/2017/ 3884-92 दिनांक: 18-5-2017

आदेश

दिनांक 27.04.2017 की अधिसूचना संख्या रा0चु0आ0/विधि/एफ/4(253)/2017/1634 द्वारा रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचन राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम,1957(इसके पश्चात जिसे अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के अधीन दिल्ली नगर निगम के आम चुनावों के परिणामों के प्रकाशित कर देने पर रा0रा0 क्षेत्र के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत नवगठित पूर्वी दिल्ली नगर निगम की प्रथम बैठक 22.05.2017 को प्रातः 11.30 बजे सभा भवन प्रथम तल ऑडिटोरियम, उद्योग सदन, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली—110092 पर आयोजित करते हैं। निगम सचिव इस आशय की अपेक्षित सूचना जारी करेंगें।

रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 77 के अधीन महापौर के चुनाव के लिए श्री निर्मल जैन, निगम पार्षद, वार्ड सं0 31—ई को पीठासीन अधिकारी मनोनीत करते हैं। श्री निर्मल जैन को श्री कुलानंद जोशी, उपायुक्त (पूर्वी—राजस्व) द्वारा धारा 32 के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।

नवगठित निगम, अधिनियम की धारा 35 में यथापेक्षित महापौर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगें। निर्वाचित महापौर अध्यक्ष का आसन ग्रहण करेंगें और अधिनियम की धारा 35(1)तथा 45(1)(आई) में यथा अपेक्षित उप महापौर तथा स्थायी समिति के छहः सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ए. अन्बरसु

(ए.अनबरासु)

सचिव (श0 वि0)/निदेशक स्थानीय निकाय

सं0फा0 7/91/एडीएलबी/2017/ 3884-92 दिनांक: 18 -5-2017

1. डॉ0 मोहनजीत सिंह,आई0ए0एस0, आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, 419,उद्योग सदन, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110092 चार अतिरिक्त प्रतियों सहित, श्री निर्मल जैन, निगम पार्षद, वार्ड सं0 31–ई तथा निगम सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ।
2. श्री कुलानंद जोशी, उपायुक्त (पूर्वी–राजस्व), उपायुक्त कार्यालय, पूर्व दिल्ली।
3. उपराज्यपाल के सचिव, राजनिवास, दिल्ली।
4. मुख्यमंत्री के प्रधानसचिव, रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली।
5. मंत्री (शहरी विकास) के सचिव, रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली
6. मुख्य सचिव, दिल्ली के विशेष अधिकारी।
7. उप सचिव (प्रशासन) शहरी विकास विभाग
8. प्रोग्रामर (शहरी विकास विभाग) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप–सचिव(सामान्य प्रशासन) दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ

ए. अनबरासु

(ए.अनबरासु)

सचिव (श0 वि0)/निदेशक स्थानीय निकाय

(To be published in Delhi Gazette Extra Ordinary Part-IV)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)
9th LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No. F. No.F.7(91)/AD/LB/2017/ 3884-92 Dated: 18/05/2017

ORDER

On publication of the result of the general election to the Municipal Corporation of Delhi under section 14 of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (hereinafter referred to as "the Act"), by the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi vide Notification No.SEC/LAW/F/4(253)/2017/1634 dated 27.4.17, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to convene the first meeting of the newly constituted East Delhi Municipal Corporation under section 73 of the Act on 22.5.17 at 11.30 a.m. at Meeting Hall, 1st Floor, Auditorium, Udyog Sadan, Patpargang Industrial Area, Delhi. The Municipal Secretary will issue the required notice in this behalf.

The Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi under section 77 of the Act is further pleased to nominate Sh.Nirmal Jain, Councillor, Ward No.31E to preside over the meeting for the election of the Mayor. He will be administered oath/affirmation as per section 32 of the Act, by Sh.Kulanand Joshi, Deputy Commissioner (East-Revenue). The other Councillors will be administered oath/affirmation by the Presiding Officer.

The newly constituted Corporation will proceed to elect the Mayor, as required by section 35 of the Act. The Mayor so elected will then assume the chair and proceed to conduct the election of the Deputy Mayor and six members of the Standing Committee as required under section 35(1) and 45(1)(i) of the Act respectively.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

(A. ANBARASU)
Secretary(UD) & Director (Local Bodies)

No. F. No.F.7(91)/AD/LB/2017/ 3884-92 Dated: 18/05/2017

1. Dr.Mohanjeet Singh, I.A.S, Commissioner, East Delhi Municipal Corporation, 419 Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area, Delhi – 110092 with four spare copies, with the request to forward a copy each to Sh.Nirmal Jain, Councillor, Ward No.31E, and Municipal Secretary for information necessary action.
2. Sh.Kulanand Joshi, Deputy Commissioner (East-Revenue), D.C. Office(East), Delhi
3. Secretary to Lt.Governor, Raj Niwas, Delhi
4. Principal Secretary to Chief Minister, Government of NCT of Delhi
5. Secretary to the Minister (Urban Development), Government of NCT of Delhi
6. OSD to the Chief Secretary, Delhi
7. Dy.Secretary (Admn.), U.D.Deptt.
8. Programmer, U.D.Deptt.for uploading on website
9. Dy.Secretary (GAD) for publication in Delhi Gazette

(A. ANBARASU)
Secretary(UD) & Director (Local Bodies)